रामप्रसाद बनाम सरकार 2018/00164

ला संख्या . 18/164

21.03.2018	उक्त अपील अभिभाषक श्री भगवान दास परमानी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.07.1985 के विरूद्ध पेश की गई । अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील के साथ अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया विलम्ब अवधि क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया एवं प्रार्थना पत्र पर मनन किया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.1987 के विरुद्ध दिनांक 20.08.2014 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है जो लगभग 29 वर्ष बाद प्रस्तुत की है । अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के जो कारण दर्शित किये हैं वह पर्याप्त एवं संतोषप्रद नहीं हैं क्योंकि अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के कोई संतोषप्रद कारण दर्शित नहीं किये हैं । वैसे भी विधि के अनुसार विलम्ब के प्रतिदिन के हिसाब से कारण दर्शित करने चाहिए परन्तु अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई कारण अपने प्रार्थना पत्र में दर्शित नहीं किया है उनके कथनों की पुष्टि होती हो । इस प्रकार अपीलान्ट ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के कोई स्पष्ट एवं संतोषप्रद कारण दर्शित नहीं किये है । इस प्रकार अपीलान्ट ने विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह संतोषजनक एवं पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किये हैं । **2017 (1) आरआरटी पेज 117 में** माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में अभिनिर्धारित किया है कि परिसीमा अधिनियम, 1963 धारा – 5 सिविल प्रकिया संहिता, 1908 धारा 100 विलम्ब का शमन – अपील पेश करने में 2344 दिनों का विलम्ब मुवक्किल की निष्क्रियता और सुस्ती– उदार दृष्टिकोंण नहीं अपनाया जा सकता अन्यथा यह मियाद कानून को निरर्थक और फालतू बना देगा – विलम्ब स्पष्ट करने हेतु पर्याप्त कारण नहीं – प्रार्थना पत्र व अपील खारिज योग्य हैं । **आर.एल.डब्ल्यू. 2001 (राज.) पृष्ठ संख्या 923** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र को निर्णित करते हुए यह अभिमत दिया है कि विलम्ब माफी चाहने वाले पक्षकार हेतु यह आवश्यक है कि वह पर्याप्त कारणों का उल्लेख करें । **2010** **(2) आर.आर.टी. पेज 801** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिमत दिया है कि परिसीमा अधिनियम, 1963– धारा 5 – विलम्ब का शमन – पर्याप्त कारण– अपील पेश करने में तीन दिन का विलम्ब – विलम्ब हेतु पर्याप्त कारण स्पष्ट नही किया जिससे अपील व प्रार्थना पत्र खारिज किया । उक्त न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण में चस्पा होता है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कोई संतोषप्रद स्पष्ट कारण दर्शित नहीं किये हैं । इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी के कथनों की पुष्टि नहीं होती है और जब तक विलम्ब के स्पष्ट संतोषप्रद कारण दर्शित नहीं किये जाते जब तक विलम्ब अवधि को क्षम्य नहीं किया जा सकता । ऐसी स्थिति में विलम्ब अवधि **2014 (1)** **आरआरटी पेज 502** की रोशनी में क्षम्य किये जाने योग्य नहीं है ।

के पिता शंकर को उपजिलाधीश कोटा ने आवन्टन

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से तथा विलम्बित अवधि क्षम्य किये जाने योग्य नहीं होने से अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक 21.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा